भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2593

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

पीएमकेएसके का प्रभाव

2593. श्री तरुण चुग:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में कृषि आदानों के वितरण तथा किसान सेवाओं की प्रदायगी पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) के प्रभाव का कोई आकलन किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएमकेएसके ने मृदा परीक्षण, परामर्शी सेवाओं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता तक पहुंच किस सीमा तक सुगम बनाई है;
(घ) क्या पीएमकेएसके ने मध्य प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की प्रचालनगत व्यवहार्यता को सुदृढ़ करने में योगदान दिया है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे मध्य प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) के रूप में काम करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से कृषि आदानों के वितरण की मासिक आधार पर निगरानी करते हैं, जो 2024-25 की तुलना में 2.45 एलएमटी अधिक था। इसी तरह, मध्य प्रदेश राज्य में पीएसीएस द्वारा किसानों को किया गया फसल ऋण संवितरण 2024-25 की तुलना में 2025-26 में 2462 करोड़ रुपये अधिक था।

(ग): 06.08.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 1,54,788 पीएमकेएसके में से, कुल 47,238 पीएमकेएसके मिट्टी और पानी परीक्षण सुविधाओं और वैज्ञानिक परामर्शी सेवाओं से सुसज्जित हैं।

उर्वरक कंपनियों ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र (पीएमकेएसके) किसानों की मृदा परीक्षण और वैज्ञानिक परामर्श सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। पीएमकेएसके ने इन सेवाओं में सहायता करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। पीएमकेएसके के माध्यम से, प्रशिक्षित कर्मचारी किसानों से मिट्टी के नमूने एकत्र करते हैं और परीक्षण के लिए उन्हें स्थिर और गतिमान प्रयोगशालाओं सहित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजते हैं। परीक्षण के परिणामों के आधार पर, किसानों को मृदा परीक्षण रिपोर्ट और उर्वरकों के संतुलित उपयोग और फसल पोषक तत्व प्रबंधन पर वैज्ञानिक सलाह प्रदान की जाती है।

पीएमकेएसके किसान जागरूकता और प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। पीएमकेएसके के माध्यम से नियमित रूप से किसान बैठकें, मृदा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, पीएम प्रणाम संगोष्ठी और पीएम-किसान किश्तों के वितरण के दौरान आयोजित कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान, कृषि विशेषज्ञ मिट्टी के स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग, फसल पोषण और बेहतर कृषि पद्धतियों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किसानों को मृदा परीक्षण और उचित पोषक तत्व प्रबंधन के महत्व को समझने में मदद करने के लिए पीएमकेएसके में जागरूकता सामग्री, पोषक तत्वों की कमी के चार्ट और अन्य जानकारी भी प्रदर्शित की जाती है।

(घ) और (ङ): मध्य प्रदेश राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की प्रचालन व्यवहार्यता को मजबूत करने के लिए, पीएसीएस को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में उन्नत किया गया है। मध्य प्रदेश में, 06.08.2026 की स्थिति के अनुसार, आईएफएमस में पीएसीएस के रूप में पंजीकृत **4,513** उर्वरक खुदरा विक्रेताओं में से, **3,983** को पीएमकेएसके में परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से पीएसीएस के लिए नकद क्रेडिट सीमा (सीसीएल) की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे उनकी प्रचालन और वित्तीय व्यवहार्यता में वृद्धि हो रही है।
